उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या 513 /2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून:: दिनांक:: 29 जून, 2017

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, राज्यपाल, "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम सं0 06 वर्ष 2017)" की धारा 10 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिषद् की सिफारिशों के क्रम में, यह सहर्ष आदेश देते हैं कि ऐसा कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पचहत्तर लाख रूपये से अधिक नहीं है, उसके द्वारा संदेय राज्य कर के स्थान पर निम्नलिखित दर पर संगणित रकम का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा;

(एक) किसी विनिर्माता के मामले में राज्य में आवर्त का एक प्रतिशत;

(दो) अनुसूची II के पैरा 6 के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट पूर्ति करने में लगे हुए व्यक्तियों के मामले में, राज्य में आवर्त का ढाई प्रतिशत;

(तीन) अन्य पूर्तिकारों के मामले में राज्य में आवर्त का आधा प्रतिशत,

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्रशमन के उद्ग्रहण का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति, ऐसे माल का विनिर्माता है, जिसका वर्णन नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अन्तर्गत आता है:

सारणी

क0सं0	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	वर्णन
1	2	3
1	2105 00 00	आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे उसमें कोका मिला है या नहीं
2	2106 90 20	पान मसाला
3	24	सभी माल, अर्थात तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प

स्पष्टीकरण–

(1) इस सारणी में "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत है।

(2) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची जिसके अन्तर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना 25 जून, 2017 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0 513/2017/9(120)/XXVII(8)/2017तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित की इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

5– एन0आई0सी0

6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. / 2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated June, 2017 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No 573/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated :: 29 June, 2017
Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 10 of the "the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017)", the Governor, in continuation of the recommendations of the Council, is pleased to order that an eligible registered person, whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed seventy five lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the State tax payable by him, an amount calculated at the rate of,-

(i) one percent of the turnover in State in case of a manufacturer;
(ii) two and a half percent of the turnover in State in case of persons engaged in making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II of the said Act, and
(iii) half percent of the turnover in State in case of other suppliers:

Provided that a registered person shall not be eligible to opt for composition levy under sub-section (1) of section 10 of the "Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, if such person is a manufacturer of the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling the tarrif item, sub-heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column(2) of the Table:-

TABLE

S.No.	Tarrif item, sub-heading, heading or Chapter	Description
1	2	3
1	2105 00 00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.
2	2106 90 20	Pan masala
3	24	All goods, i.e. Tobacco and manufactured tobacco substitutes

Explanation:-

(1) In this Table, "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (57 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall be deemed to come into force with effect from 25th day of June, 2017.

(Radha Raturi)
Principal Secretary